सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन

बनाम

निखिल गुलेटी और एक अन्य

13 फरवरी, 1998

[एम. एम. पंची, सीजेआई, बी. एन. किरपाल और एम. श्रीनिवासन, जे.जे.]

शिक्षा - योग्य छात्रों की शिक्षा - न्यायालय के आदेशों के तहत परीक्षा देने की अनुमति - का अल्पीकरण - इस तरह की विचलन की घटनाओं की निंदा को मिसाल नहीं माना जाना चाहिए - न्यायालय द्वारा इस तरह के आकस्मिक निर्देश प्रक्रिया का दुरुपयोग है-जब तक उचित न हो उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश देने से बचना चाहिए- अभिनिर्धारित किया अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 18853/1997

डीबीसीएसए 1181/ 1997 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.9.97 से।

टी.सी. शर्मा, नीलम शर्मा, श्री अजय शर्मा और श्री रूपेश कुमार, याचिकाकर्ता के लिए।

एस.के. जैन और श्री ए.पी. धमीजा, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

कभी-कभी इस तरह की असामान्यताओं ने, जिसके तहत अयोग्य छात्रों को, अदालत के आदेशों के तहत, बोर्ड और/या विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाती है, ने कई बार इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। इसे और जोड़ने के लिए, अदालतों ने लगभग हमेशा देखा है कि भविष्य में इस तरह के विपथन की घटना को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा इस तरह के आकस्मिक विवेकाधिकार प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं हैं; और भी तब जब उच्च न्यायालय को अपने स्तर पर ही यह अहसास हो जाए कि फैसला गलत था और मिसाल के तौर पर दोहराने लायक नहीं है। और फिर भी इसे बार-बार दोहराया जाता है। इतना कहने के बाद, हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि जब तक उच्च न्यायालय सिद्धांत और सिद्धांत पर अपने फैसले को उचित नहीं ठहरा सकता है, तब तक उसे इस तरह के आदेश पारित करने से बचना चाहिए क्योंकि यह 'कानून के शासन'का मजाक उड़ाता है और 'मानव के शासन'को बढ़ावा देता है।

फिर भी, यहाँ छात्रों के मन में गहरी उम्मीदें पैदा हो गई थीं। इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाओ को खारिज किया जाता है।

टी.एन.ए.

याचिकाएं खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।